उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

संख्या-74/2016/4119/92-1-2016-95आरईएस/2006

लखनऊ: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री विजय कुमार, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड पे-6600/- (वेतन बैण्ड-3) को अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग वेतनमान रू0 37400-67000, ग्रेड पे-8700/- (वेतन बैण्ड-4) के पद पर मौलिक रूप से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री विजय कुमार को अनुमन्य वेतन/मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार देय होंगे।

3- उक्त पदोन्नति, मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-31120/2016 राशिमणि मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

4- अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप श्री विजय कुमार कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात श्री विजय कुमार कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से शासन के अग्रिम आदेशों तक सम्बद्ध रहेंगे। श्री विजय कुमार की तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

संख्या-74/2016/4119(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- मुख्य अभियंता (पूर्व/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।

5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

8- कम्प्यूटर अंकन प्रति।

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in